अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं.1/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.605(अ).—केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा .श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 1/2017 – Central Tax

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L.Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं 4/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.606 (अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में "www.gst.gov.in" को अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा .श्रीपार्वती एस.एल. , अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 4/2017 – Central Tax

G.S.R.606 (E).—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

TaxcodeIN | www.taxcode.in